फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प कालाऊना

वादी बनाम प्रतिवादी

श्रीमती सुकड़ी राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–182/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.12.2021	प्रार्थी श्रीमती सुकड़ी पत्नी बींजाराम जाति मेघवाल निवासी कालाऊना तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प कालाऊना में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 146 रकबा 0.2832 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.3883 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 632 रकबा 0.9061 हैक्टैयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पति बींजाराम पुत्र राजुराम की थी। खातेदार बींजाराम जी का देहान्त 40 वर्ष पूर्व मे हो गया। उनकी फौतेदगी का नामान्तकरण संख्या 237 स्वीकृत किया गया। उस नामान्तकरण संख्या 237 में वादी का नाम सुकड़ी के बजाय मकुड़ी दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुकड़ी है तथा सरकारी दस्तावेज भी सुकड़ी के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में मकुड़ी पत्नी बींजाराम के स्थान पर सुकडी पत्नी बींजाराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी सुकड़ी पत्नी बींजाराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी सुकड़ी पत्नी बींजाराम का आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 146, 152, 632 ग्राम कालाऊना (मकुडी पत्नी बींजाराम) आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत कालाऊना द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 नाथूराम पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल निवासी कालाऊना तहसील बिलाड़ा के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में मकुड़ी लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम सुकड़ी पत्नी बींजाराम के बजाय मकुडी पत्नी बींजाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है	

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.2832 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.3883 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 632 रकबा 0.9061 हैक्टैयर में मकुड़ी पत्नी बींजाराम के स्थान पर **सुकड़ी पत्नी बींजाराम** जाति मेघवाल निवासी कालाऊना तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम कालाऊना में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
बिलाड़ा
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प कालाऊना

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

श्रीमती सुकड़ी पत्नी बींजाराम
जाति मेघवाल निवासी कालाऊना
तहसील बिलाड़ा

राजस्थान सरकार
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 182/2021

दिनांक :– 03.12.2021

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कालाऊना **तहसील** बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 0.2832 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.3883 हैक्टैयर, **खसरा** नम्बर 632 रकबा 0.9061 हैक्टैयर में मकुड़ी पत्नी बींजाराम के स्थान पर **सुकड़ी पत्नी बींजाराम** जाति मेघवाल निवासी कालाऊना तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा